सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर, उ0प्र0–272202
Website : www suksn.edu.in – Email Id : registrarsidduniv@gmail.com

अधिसूचना

एतद्द्वारा जिला समाज कल्याण अधिकारी, सिद्धार्थनगर के पत्रांक 405/सं0क0/छात्र0/2021–22 दिनॉक–02.08.2021 क्रम में सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर से सम्बद्ध समस्त जपनदों के समस्त राजकीय, अनुदानित एवं स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों के प्रबन्धक/प्राचार्य/प्राचार्या को सूचित किया जाता है कि उक्त संलग्न पत्र का अवलोकन करते हुए नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नकः– यथोक्त।

भवदीय

कुलसचिव,
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर।

पत्रांक 1225/सूचना/2021 दिनांक– 04/08/2021

प्रतिलिपि, निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. जिला समाज कल्याण अधिकारी, सिद्धार्थनगर।
2. समस्त प्राचार्य/प्राचार्या सम्बद्ध सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर।
3. निजी सचिव, कुलपति को कुलपति महोदय के संज्ञानार्थ।
4. प्रभारी कोडिंग सेल को इस निर्देश के साथ कि उक्त सूचना विश्वविद्यालय के वेबसाइट तथा कालेज लॉगिन पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
5. सम्पादक महोदय– अमर उजाला, दैनिक जागरण, राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्तान को इस आशय से प्रेषित कि कृपया अपने सम्मानित समाचार पत्र के अंक में छात्रहित में निःशुल्क प्रकाशन कराने का कष्ट करे।
6. गार्ड फाइल में सुरक्षित हेतु।

कुलसचिव,
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर।

प्रेषक,

जिला समाज कल्याण अधिकारी
सिद्धार्थनगर।

सेवा में,

1. कुल सचिव सिद्धार्थ विश्वविद्यालय
   कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।
2. जिला विद्यालय निरीक्षक
   सिद्धार्थनगर।

पत्रांक/(क)-405/स0क0/छात्र0/2021–22 दिनांक 02-8-2021

विषय– वित्तीय वर्ष 2021–22 में पूर्वदशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति हेतु जारी समय–सारणी को समयबद्ध ढंग से अनुपालन कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक पत्र के साथ संलग्न निदेशालय समाज कल्याण उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या सी–499/स0क0/शिक्षा–अ/7/51/2021–22 दिनांक 26 जुलाई, 2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2021–22 में पूर्वदशम एव दशमोत्तर छात्रवृत्ति हेतु जारी समय–सारणी के अनुसार समयबद्ध ढग से कार्यवाही किया जा आवश्यक है। जिससे पात्र छात्र–छात्राओ को पूर्वदशम एव दशमोत्तर छात्रवृत्ति एव शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत पात्र छात्र–छात्राओ का छात्रवृत्ति योजना का लाभ दिया जा सके। संस्थानो से अनुरोध है कि निम्न बिन्दुओ के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

1– **दशोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत कक्षा 11–12 एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओ हेतु संस्थानों को मास्टर डाटा में अपनी संस्था से सम्बन्धित समस्त सूचानाओ को भरकर डिजिटल हस्ताक्षर से दिनांक 10 अगस्त 2021 तक लॉक किया जाना हैं।**

वर्ष 2021–22 में मास्टर डाटा से सम्मिलित होने वाली नवीन संस्थाओ को छात्रवृत्ति पोर्टल पर यथास्थान अपने को रजिस्टर्ड करते हुए कक्षा 11–12 लिये जिला विद्यालय निरीक्षक से एवं अन्य उच्च कक्षाओ के लिये सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं एफिलियेटिंग एजेन्सी से आनलाइन प्रमाणित होने के उपरान्त ही जिला समाज कल्याण अधिकारी से लॉगिन आई0डी0 एवं पासवर्ड प्राप्त कर अपना मास्टर डाटा समस्त सूचनाओ को भरकर दिनाक 10 अगस्त, 2021 तक लॉक किया जाना है।

2– पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजनान्र्गत मास्टर डाटा को पूर्ण करने एवं नवीन संस्था को छात्रवृत्ति पोर्टल पर पंजीकृत करके पासवर्ड प्राप्त करके डिजिटल हस्ताक्षर से करने की अन्तिम तिथि 12 अगस्त 2021 है।

3– गत वर्ष की भांति वर्तमान वर्ष 2021–22 मे भी संस्था से आनलाइन आवेदन पत्र अग्रसारित करते समय संस्था द्वारा प्रत्येक छात्र का अनिवार्य रूप से गत परीक्षा के प्राप्तांक, उपस्थिति, प्रतिशत अंकित करना है। संस्थान द्वारा शैक्षणिक सत्र 2021–22 का मास्टर डाटा भरने के साथ–साथ संस्थान वर्ष 2020–21 में छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति प्राप्त छात्रो के सम्बन्ध में विवरण कि उसके द्वारा सेमेस्टर/वार्षिक परीक्ष मे भाग लिया है अथवा नही तथा पूरे शैक्षणिक सत्र में उपस्थिति प्रतिशत कितना रहा है, यह अंकित कर लॉक भी किया जाना है।

4– संस्थान में संचालित पाठकमो की विश्वविद्यालय तथा एफिलियेटिंग एजेसी द्वारा जारी मान्यता सम्बन्धी प्रपत्र, पत्रांक आदि विवरण संस्थान संस्थान द्वारा अंकित करने के उपरान्त ही लॉक जा सकेगा।

5– कक्षा 9–10 के लिये यू0–डाइस (**U-DISE**) कोड तथा अन्य उच्च कक्षाओ के लिये आइस कोड (**AISHE**) का होना आवश्यक होगा। सभी संस्थान तद्नुसार अपना सही कोड भरना सुनिश्चित करेगे।

6– संस्थान को अपने लागिन से आवेदन पत्र को आनलाइन अग्रसारित करते समय छात्र का आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र का कमाक, आवेदन पत्र संख्या उपस्थिति प्रतिशत गत परीक्षा का पूर्णाक तथा प्राप्तांक को भरकर एवं छात्र के आवेदन के सभी विन्दुओ का मिलान करते हुये अग्रसारित किया जाना है।

7– अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्र्गत नियमावली–2016 के नियम–12 (III) में दी गई व्यवस्था के अनुसार अभ्यर्थी द्वारा जमा किये गये आवेदन पत्र में सलग्न प्रमाण–पत्रों का मिलान मूल प्रमाण–पत्रो से शिक्षण संस्था स्तर से गठित समिति द्वारा किया जायेगा जिससे लिये शिक्षण संस्था पूरी तरह से उत्तरदायी होगी। इसी प्रकार नियम–12 (iv) में दी गई व्यवस्था के अनुसार आनलाइन सत्यापित एवं

अग्रसारित करने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित संस्था का ही होगा। जिन छात्र–छात्राओ का डाटा त्रुटिपूर्ण, गलत या अपूर्ण पाया जाना है, ऐसे छात्र–छात्राओ की संस्था द्वारा समुचित कारण दर्शाते हुये छात्रवृत्ति हेतु संस्तुति नही की जायेगी और अपने स्तर से रिजेक्ट कर दिया जायेगा।

अतः आपसे अनुरोध है कि अपने स्तर से सम्बन्धित संस्था को छात्रवृत्ति नियमावली में दिये गये प्राविधानो एवं उक्तानुसार जारी समय–सारणी में दी गयी समयावधि के अन्दर मास्टर डाटा को पूर्ण करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करे। जिससे सभी संचालित एवं पात्र संस्थाओ का मास्टर डाटा समयान्तर्गत लाक हो सके तथा कोई भी पात्र छात्र छात्रवृत्ति से वंचित न रहे।

_संलग्नक–यथोक्त_

भवदीय,

02/08/2021

डॉ0(राहुल गुप्ता)

O/C जिला समाज कल्याण अधिकारी

सिद्धार्थनगर

पृष्ठाकंन सं0 व दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी, सिद्धार्थनगर।
3. मुख्य विकास अधिकारी, सिद्धार्थनगर।
4. उपनिदेशक, समाज कल्याण बस्ती, मण्डल बस्ती।
5. जिला पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी सिद्धार्थनगर।
6. जिला अल्पसंख्यक वर्ग कल्याण अधिकारी सिद्धार्थनगर
7. समस्त शिक्षण संस्थायों को सूचानार्थ।

02/08/2021

जिला समाज कल्याण अधिकारी

O/C सिद्धार्थनगर

ई–मेल/महत्वपूर्ण

निदेशालय, समाज कल्याण उत्तर प्रदेश

पत्रांक– C 479 /स0क0/शिक्षा–अ/7/51/2021–22

लखनऊ : दिनांक 26 जुलाई, 2021

समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

विषय:–वित्तीय वर्ष 2021–22 में पूर्वदशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति हेतु जारी समय–सारिणी को समयबद्ध ढंग से अनुपालन कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया वित्तीय वर्ष 2021–22 में पूर्वदशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति हेतु जारी समय–सारिणी दिनांक 12–07–2021, जो कि आपको पूर्व में पत्र संख्या सी0–381/स0क0/शिक्षा–अ/7/52/2021–22 दिनांक 13–07–2021 एवं पत्र सख्या सी0–382/स0क0/शिक्षा–अ/7/52/2021–22 दिनांक 13–07–2021 द्वारा प्रेषित की जा चुकी है, के अनुसार समयबद्ध ढंग से जनपद स्तर पर कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। जनपद स्तर पर जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग एवं कल्याण विभाग के अधिकारियों के साथ संस्थाओं की बैठक करते हुए निम्न बिन्दुओं पर त्वरित गति से कार्यवाही की जानी है:–

1– **दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत कक्षा 11–12 एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओं हेतु संस्थानों को मास्टर डाटा में अपनी संस्था से सम्बन्धित समस्त सूचनाओं को भरकर डिजिटल हस्ताक्षर से दिनांक 10 अगस्त, 2021 तक लाक किया जाना है।**

वर्ष 2021–22 में मास्टर डाटा में सम्मिलित होने वाली नवीन संस्थाओं को छात्रवृत्ति पोर्टल पर यथास्थान अपने को रजिस्टर्ड करते हुए कक्षा 11–12 के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक से एवं अन्य उच्च कक्षाओं के लिए सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं एफिलियेटिंग एजेंसी से आनलाइन प्रमाणित होने के उपरांत ही जिला समाज कल्याण अधिकारी से लागिन आई0डी0 एवं पासवर्ड प्राप्त कर अपना मास्टर डाटा समस्त सूचनाओं को भरकर दिनांक 10 अगस्त, 2021 तक लाक किया जाना है।

2– पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत मास्टर डाटा को पूर्ण करने एवं नवीन संस्था को छात्रवृत्ति पोर्टल पर पंजीकृत करके पासवर्ड प्राप्त करके डिजिटल हस्ताक्षर से लाक करने की अंतिम तिथि 12 अगस्त, 2021 है।

3– गत वर्ष की भांति वर्तमान वर्ष 2021–22 मे भी संस्था से आनलाइन आवेदन पत्र अग्रसारित करते समय संस्था द्वारा प्रत्येक छात्र का अनिवार्य रूप से गत परीक्षा के प्राप्तांक एव पूर्णांक, उपस्थिति प्रतिशत अंकित करना है। संस्थान द्वारा शैक्षणिक सत्र 2021–22 का मास्टर डाटा भरने के साथ–साथ संस्थान को वर्ष 2020–21 में छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति प्राप्त छात्रों के सम्बन्ध में विवरण कि उनके द्वारा सेमेस्टर/वार्षिक परीक्षा में भाग लिया गया है अथवा नहीं तथा पूरे शैक्षणिक सत्र में उपस्थिति प्रतिशत कितना रहा है, यह अंकित कर लाक भी किया जाना है।

4– संस्थान में संचालित पाठ्यक्रमों की विश्वविद्यालय तथा एफिलिऐटिंग एजेंसी द्वारा जारी मान्यता सम्बन्धी प्रपत्र, पत्रांक आदि विवरण संस्थान द्वारा अंकित करने के उपरांत ही मास्टर डाटा लाक किया जा सकेगा।

5– कक्षा 9–10 के लिए यू0–डाइस (U-DISE) कोड तथा अन्य उच्च कक्षाओ के लिए आइस कोड (AISHE) होना आवश्यक होगा। सभी संस्थान तद्नुसार अपना सही कोड भरना सुनिश्चित करेंगें।

6– संस्थान को अपने लागिन से आवेदन पत्र को आनलाइन अग्रसारित करते समय छात्र का आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र का कमांक, आवेदन पत्र सख्या, उपस्थिति प्रतिशत, गत परीक्षा का पूर्णांक तथा प्राप्तांक को भरकर एवं छात्र के आवेदन से सभी बिन्दुओं का मिलान करते हुए अग्रसारित किया जाना है।

7– अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना नियमावली–2016 के नियम–12 (iii) में दी गयी व्यवस्था के अनुसार अभ्यर्थी द्वारा जमा किये गये आवेदन पत्र में संलग्न प्रमाण–पत्रो का मिलान मूल प्रमाण–पत्रों से शिक्षण संस्थान स्तर पर गठित समिति द्वारा किया जायेगा जिसके लिए शिक्षण संस्था पूरी तरह से उत्तरदायी होगी। इसी प्रकार नियम–12 (iv) में दी गयी व्यवस्था के अनुसार आनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित संस्था का ही होगा। जिन छात्र/छात्राओं का डाटा त्रुटिपूर्ण, गलत या अपूर्ण पाया जाता है, ऐसे छात्र–छात्राओं की संस्था द्वारा समुचित कारण दर्शाते हुये छात्रवृत्ति हेतु संस्तुति नहीं की जायेगी और अपने स्तर से रिजेक्ट कर दिया जायेगा।

संस्थाओं द्वारा आवेदन पत्र आनलाइन अग्रसारित करते समय छात्रवृत्ति नियमावली में दिये गये नियमों एव प्रतिबन्धों का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। यह स्थिति ठीक नही है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि छात्रवृत्ति नियमावली में दिये गये प्राविधानो एवं उक्तानुसार जारी समय–सारिणी में दी गयी समयावधि के अन्तर्गत संस्थाओं की जनपद स्तर पर बैठक कराकर मास्टर डाटा पूर्ण कराना सुनिश्चित करें, जिससे कि सभी सचालित एव पात्र संस्थाओं का मास्टर डाटा समयान्तर्गत लाक हो सके तथा कोई भी पात्र छात्र छात्रवृत्ति से वचित न रहे।

24/8/2021

(राकेश कुमार)
निदेशक

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन, समाज कल्याण अनुभाग–3

2– समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

3– समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

4– समस्त मण्डलीय उप निदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश।

(राकेश कुमार)
निदेशक